शराब पीकर वाहन चलाकर सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध अल्मोड़ा पुलिस की कड़ी कार्यवाही जारी

द्वाराहाट पुलिस ने कार व चौखुटिया पुलिस ने डम्पर चालक को गिरफ्तार कर उनके वाहनों को किया सीज

श्री देवेन्द्र पींचा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त थाना/चौकी प्रभारियों व यातायात पुलिस अधिकारियों को जनपद में प्रभावी यातायात व्यवस्था एवं सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु प्रचलित सड़क सुरक्षा माह के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन हेतु प्रेरित कर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने तथा सड़क दुर्घटना के मुख्य कारणों शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित वाहन चालकों के डीएल निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

पहला मामला-

दिनांक- 06.02.2024 को थानाध्यक्ष द्वाराहाट श्री अवनीश कुमार द्वारा पुलिस टीम के साथ थाना क्षेत्र इंजीनियरिंग कॉलेज द्वाराहाट गेट के पास चेकिंग के दौरान वाहन संख्या- U.P- 03-4124 (मारुति 800) के चालक विशाल सिंह नेगी, निवासी बिन्ता, द्वाराहाट को शराब के नशे में वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर वाहन कार को सीज किया गया।

दूसरा मामला-

दिनांक- 06.02.2024 को थानाध्यक्ष चौखुटिया श्री जसविन्दर सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 श्री बृजमोहन भट्ट, प्रभारी चौकी मासी द्वारा पुलिस टीम के साथ भटकोट चौखुटिया में चेकिंग के दौरान वाहन संख्या- U.K-19 C.A-5270 (डम्पर) के चालक दीपक सिंह, निवासी कौलक, मेहलचौरी, गैरसैंण को शराब के नशे में वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर वाहन डम्पर को सीज किया गया और चालक के डीएल निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है।

चेकिंग अभियान जारी है।